न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र – बगडी नगर
पीठासीन अधिकारीः– श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 137/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. उमेदराम 2. जगाराम पि. धनाराम कौम सिरवी, निवासीगण बेरा जुनिया जालीया, बगडी नगर तहसील सोजत, जिला–पाली (राजस्थान)		1. भोलाराम पुत्र धनाराम कौम सिरवी, निवासी बेरा जुनिया जालीया, बगडी नगर तहसील सोजत, जिला–पाली (राजस्थान) 2. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री भुण्डाराम चौधरी, अधिवक्ता वादीगण व वादीगण स्वयं उपस्थित।
2. श्री हीरालाल कांठेर अधिवक्ता प्रतिवादी व प्रति.सं. 01 व 02 स्वयं उपस्थित।

–: **निर्णय** :– दिनांक – 08.06.2017

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष धनाराम थे, जिनके 03 पुत्रान वादीगण उमेदराम जगाराम व प्रतिवादी संख्या 01 भोलाराम हुए। मौजा बगडी नगर चक द्वितीय तहसील सोजत में स्थित खसरा संख्या 3410 से 3412, 3416 से 3425 कुल किता 13 रकबा 24.7700 कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के स्वर्गीय पिता धनाराम पुत्र रूगाराम को 1/16 वां हिस्सा खातेदारी हक हकुक, कब्जे काश्त का था। उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त वादस्थ कृषि भूमि में बराबर हिस्सा रहा है, किन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम ही दर्ज है, जबकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का पिता के जीवनकाल से शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 संयुक्त रूप से 1/16 वीं हिस्से के बराबर हकदार है। उक्त वाद में अन्य सहखातेदारान से कोई अनुतोष नही चाहने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के छोटे भाई है अर्थात् धनाराम जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के अलावा उनके कोई विधिक व प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नही है। उक्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 01 भोलाराम का ही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जो कि गलत है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ–साथ वादीगण का नाम भी दर्ज करवाने का वादीगण को कानूनन अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता धनाराम की मृत्यु के पश्चात् के उनके हक हिस्से की अन्य कृषि भूमि मौजा बगडी नगर चक द्वितीय के खसरा संख्या 649, 201 व 291 में भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

के नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में केवल प्रतिवादी संख्या 01 का ही नाम दर्ज होने व भविष्य में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवाद होने से बिनायादावा बमुकाम बगडी नगर उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादी के राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये।

राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार, 2017 कार्यक्रम में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र बगडी नगर पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल कांटेर ने वकालतनामा तथा प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं ने उपस्थित होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों पर अपनी समहति/स्वीकारोक्ति व्यक्त करते हुद माफिक वाद डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की है। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित आए, जवाब दावा पेश नहीं करना चाहने से जवाब दावा आज बन्द किया गया।

बहस अधिवक्तवा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वंशावली सजरा अनुसार धन्नाराम के तीन पुत्रान भोलाराम, अमेदराम व जगाराम हुए, जिनके नाम मौजा बगड़ी चक द्वितीय खसरा संख्या 3827 व 4377 तथा 3554 से 3565 कुल किता 12 रकबा 33.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, गैर मुमकिन बेरा व सड़ा तथा खसरा संख्या 4025, 4027 से 4034, 4341 से 4348 कुल किता 17 रकबा 41.1000 हैक्टर किस्म चा.दो., जा.दो, बंजड़, गैर मुमकिन बेरा व सड़ा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना बखुबी प्रमाणित है। किन्तु विवादित भूमि खसरा संख्या 3410 से 3412, 3416 से 3425 कुल किता 13 रकबा 24.7700 हैक्टर किस्म जा.अ., चा.प्र., बंजड़, गैर मुमकिन बेरा व सड़ा की धन्नाराम की 1/16 हिस्से की भूमि में मात्र भोलाराम का 1/16 हिस्सा दर्ज कर दिया है, जो गलत है। जिससे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ उक्त दर्ज हिस्से में ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईस्तदुआ की है। इसी आशय की संपुष्टि अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 01 के प्रस्तुत ईकबालिया जवाब दावा से भी होती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र, ईकबालिया जवाब दावा, फहरिश्त के संलग्न राजस्व रेकर्ड के समस्त दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण का वाद माफिक दावा चूंकि ईकबालिया जवाब दावा में वाद–पत्र के तथ्यों की प्रतिवादी संख्या 01 दर्ज खातेदार द्वारा संपुष्टि की जा चुकी है। लिहाजा धारा 15(1) के तहत स्वीकार योग्य होने से वादीगण का प्रस्तुत उक्त वाद स्वीकार किया जाना तथा माफिक आपसी सहमति पैतृक व पुश्तैनी आराजी की उक्त विवादित भूमि के वर्तमान रेकर्ड में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के दर्ज हिस्से में ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

अतः माफिक आपसी सहमति वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगड़ी नगर में स्थित विवादित कृषि भूमि 3410 से 3412, 3416 से 3425 कुल किता 13 रकबा 24.7700 हैक्टर किस्म जा.अ., चा.प्र., बंजड़, गैर मुमकिन बेरा व सड़ा की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को सरे ईजलास राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प, अटल सेवा केन्द्र बगड़ी नगर में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner